रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042025-262398
CG-DL-E-11042025-262398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947
No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 09 अप्रैल,2025

सा.का.नि. 223(अ)–केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 691 (अ) तारीख 08 नवम्बर, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को 08 नवम्बर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उप नियम कहा गया है) के नियम 126 में,-

(क) "(कम्बाइन हारवेस्टर के परीक्षण के लिए)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "(कम्बाइन हारवेस्टर और कृषि ट्रेक्टर के परीक्षण के लिए)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) "या नेशनल आटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (एनएटीआरएएक्स) इन्दौर", शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश (पावर टिलर के परीक्षण के लिए)", शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं.आरटी-11036/28/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 200(अ), तारीख 26 मार्च, 2025 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 09 April, 2025

G.S.R. 223(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published, as required by sub- section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 691 (E), dated the 8th November, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 8th November, 2024;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 126, -

(a) for the words and brackets "(for testing of combine harvester)", the words and brackets "(for testing of combine harvester and agricultural tractor)" shall be substituted;

(b) after the words, brackets and letters "or the National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore", the words and brackets "or the Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur, Andhra Pradesh (for testing of power tiller)" shall be inserted.

[F.No.RT-11036/28/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addly. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* Notification number G.S.R. 200(E), dated the 26th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.04.11 15:57:17 +05'30'